न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 05/2023

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 05/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 350/680 की कुल 3.8690 हैक्ट भूमि में से 253/3689 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः कृष्ण पुत्र सन्तलाल व नरेन्द्र पुत्र सन्तलाल दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थीगण का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में कृष्ण कुमार पुत्र सन्तलाल व नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण कृष्ण पुत्र सन्तलाल व नरेन्द्र पुत्र सन्तलाल के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम कृष्ण कुमार पुत्र सन्तलाल व नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थीगण का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राजपेरोकार जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:09 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का सही नाम क्रमशः कृष्ण कुमार पुत्र सन्तलाल

उपखण्ड अधिकारी

व नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः कृष्ण पुत्र सन्तलाल व नरेन्द्र पुत्र सन्तलाल दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम क्रमशः कृष्ण कुमार पुत्र सन्तलाल व नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 350/680 की कुल 3.8690 हैक्ट भूमि में से 253/3689 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीगण अपना नाम क्रमशः कृष्ण पुत्र सन्तलाल व नरेन्द्र पुत्र सन्तलाल के स्थान पर क्रमशः कृष्ण कुमार पुत्र सन्तलाल व नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः कृष्ण कुमार पुत्र सन्तलाल व नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल अंकित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 350/680 की कुल 3.8690 हैक्ट भूमि में से 253/3689 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः **कृष्ण पुत्र सन्तलाल के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र सन्तलाल व नरेन्द्र पुत्र सन्तलाल के स्थान पर नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीगण के नाम क्रमश कृष्ण व नरेन्द्र के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का क्रमश कृष्ण व नरेन्द्र के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण का नाम क्रमश कृष्ण व नरेन्द्र ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/06/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:09 IST
Reason: SelfAttested